न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 27 / 2025
जीसीएमएस नं. : 2025 / 40

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया प्रोपराईटर कृष्णा रिसोर्ट एवं पैलेस कूपडा बायपास, बोरवट मेन रोड बांसवाडा

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 07–05–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 07.10. 2024 द्वारा दिये गये निर्देशो के तहत दिनांक 27.01.2025 को कुपडा बायपास, बोरवट में स्थित कृष्णा रिसोर्ट एवं पैलेस की जांच उसके प्रोपराईटर श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में श्री श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 6 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एच.पी गैस	106674 T	25.000	15.000	9.500
2	एच.पी गैस	1528(अस्पष्ट)	[illegible]	15.600	2.900
3	एच.पी गैस	290300	[illegible]	15.600	9.300
4	एच.पी गैस	205849	[illegible]	15.800	4.400
5	एच.पी गैस	23859(अस्पष्ट)	[illegible]	16.800	3.100
6	एच.पी गैस	722477	23.000	15.600	7.400

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 06 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 06 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सागर गैस एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हेमन्त मेहता को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 06 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 07.05.2025 को अप्रार्थी के साथ श्री गिरीश पंचोली प्रोपराईटर कृष्णा रिसोट एवं पैलेस ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया मेरे प्रतिष्ठान में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। अप्रार्थीगणो द्वारा किसी भी प्रकार का घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसाय, उपयोग नही किया जाता है। उक्त जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नही है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्तशुदा 8 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थीगणो को कोई आपत्ति नही है। बहस के दौरान अप्रार्थी द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराया।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 27.01.2025 को कुपडा बायपास, बोरवट में स्थित कृष्णा रिसोर्ट एवं पैलेस की जांच उसके प्रोपराईटर श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में श्री श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विनोद कुमार पाटीदार, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 6 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया द्वारा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का प्रोपराईटर बताया गया। व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 6 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 06 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सागर गैस एजेन्सी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री हेमन्त मेहता को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 06 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 06 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी श्री गजेन्द्र सिंह सिसोदिया के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 06 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 07–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.07.24 12:02:53 IST
Reason: SelfAttested